संख्याः 744 / कनिप्र / 26–3–2014–13(60) / 2013

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 09 जून, 2014
समाज कल्याण विभाग

विषयः '' हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

———

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित '' हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' दिनांक 06–12–2013 से देश के सभी राज्यों (जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर) में प्रभावी हो गया है। उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन तथा समन्वय हेतु शासन स्तर पर नगरीय क्षेत्र के लिये नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये पंचायतीराज विभाग को नामित किया गया है। समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।

2– उक्त अधिनियम के कियान्वयन के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग के निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये हैंः–

(1) शासनादेश संख्या 108 / क0नि0प्र0 / 26–3–2014–13(60) / 2013 दिनांक 10 फरवरी, 2014 द्वारा अधिनियम के कियान्वयन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत जनपद में अधिनियम के प्राविधानों को लागू कराने का उत्तरदायित्व जनपद के जिलाधिकारी का है। इस हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 10–02–2014 द्वारा जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। इसी शासनादेश में जनपद में अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्यों की मानीटरिंग के लिए जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में '' जिला स्तर सर्वेक्षण समिति'' के गठन के भी आदेश निर्गत गये हैं।

(2) अधिनियम की धारा–36 के अन्तर्गत अपेक्षित विन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा नियमों को प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इसी मध्य अधिनियम की धारा–37 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियमों के प्रख्यापित न हो पाने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिये तैयार किये गये मॉडल रूल्स ('' हाथ से

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org

मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013'') दिनांक 06–03–2014 से प्रदेश में स्वतः ही प्रभावी हो गये हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अधिसूचित किये जाने की तिथि तक प्रभावी रहेंगे। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 386/क0नि0प्र0/26–3–2014 –13(60)/2013 दिनांक 21 मार्च, 2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित को मॉडल रूल्स की प्रतियॉ अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी हैं।

(3) मैनुअल स्कैवेन्जर्स के पुनर्वास के लिये भारत सरकार द्वारा संशोधित एस0आर0एम0एस0 योजना माह नवम्बर, 2013 से लागू की गयी है। इस योजना में मुख्य रूप से सर्वेक्षणोपरान्त चिन्हित मैनुअल स्कैवेन्जर्स के परिवार के एक मैनुअल स्कैवेन्जर को एकमुश्त रू0 40,000–00 की नकद सहायता दिया जाना, स्वतः रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाना तथा व्यवसाय हेतु कन्शेसनल लोन की व्यवस्था की गयी है। योजना को लागू कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धित को विस्तृत निर्देश शासनादेश संख्या 05 भा0स0/क0नि0प्र0/26–3–2014–14(01)22014 दिनांक 6 फरवरी, 2014 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं। उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को उक्त योजना के कियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

(4) अधिनियम की धारा–13(1)(ए)(ii) के अन्तर्गत एकमुश्त नकद सहायता के लिये पात्र पाये गये लाभार्थी के बैंक खाते आदि के विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या 15 भा0स0/क0नि0प्र0/26–3–2014–14(01)/2014 दिनांक 19–02–2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं।

(5) उक्त शासनादेशों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के कियान्वयन की मानीटरिंग हेतु अधिनियम की धारा 24(1) एवं 24(2) के अन्तर्गत जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय मानीटरिंग कमेटी तथा अधिनियम की धारा 24(1) एवं 24(3) के अन्तर्गत उप जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में उप–जिला स्तरीय मानीटरिंग कमेटी के गठन सम्बन्धी अधिसूचनायें कमशः अधिसूचना संख्या 689/केएनपी/26–3–2014(13(60)/2013 दिनांक 28–05–2014 तथा अधिसूचना संख्या 690/केएनपी/26–3–2014(13(60)/2013 दिनांक 28–05–2014 द्वारा निर्गत की गयी हैं।

(6) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगों के ट्रायल हेतु उप जिला के सभी उप जिला मैजिस्ट्रेट्स को अधिनियम की धारा 21(1) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की शक्तियॉ दिये जाने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 172/केएनपी/26–3–2014(13(60)/2013 दिनांक 21–05–2014 द्वारा निर्गत की गयी है।

(7) उक्त समस्त शासनादेशों तथा अधिसूचनाओं की प्रतियॉ समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट www.swd.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

3– उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय कार्यवॉहियॉ समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना अपेक्षित हे। रिट याचिका संख्या 583/2003 सफाई कर्मचारी आन्दोलन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में भी दिनांक 27–3–2014 को मा0 सर्वोच्च

Search easily on www.bhartiyashiksha.org

न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय में उक्त अधिनियम के प्रभावी ढंग अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

4— अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद में निर्देशानुसार गठित होने वाली समितियों आदि का गठन करते हुये अधिनियम के प्राविधानों का प्रभावी ढंग से कियान्वयन/ अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
9.6.14
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिनियम की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2— प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3— प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, लखनऊ।
6— निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7— निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8— निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
(दीनानाथ)
अनु सचिव

Search easily on www.bhartiyashasharadesh.org